WELCOME LETTER

Date:

Client ID.	Your Branch Representative Details:
Policy No.	Name
Proposal No.	Contact No.

Dear,

Welcome to the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life family. We would like to congratulate you on purchasing Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Monthly Income Plan.Please note that this is a 'REGULAR Premium' plan.

This document is your policy contract and contains important information related to your policy. We would recommend that you read this document carefully to ascertain if the details mentioned are accurate.

If you wish to rectify any of the details provided by you in the policy, then please get in touch with our **Resolution center: 1800-103–0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL users) or your bank branch representative.** You can also **SMS us at 9779030003** or write to us at customerservice@canarahsbclife.in and our representative will contact you at your convenience.

We are confident that our product will meet your requirements, however in case the policy terms and conditions are not agreeable to you then you can opt for a cancellation and discontinue your policy. If you decide to opt for cancellation, we would request you to send back this policy contract along with the reason for non-acceptance within 15 days from receipt of this document. In case you opt for cancellation within the said 15 days, we shall refund the premium paid by you on receipt of the letter. The paid premium will be subject to deduction of the proportionate risk premium for the period of life cover and expenses incurred by us if any, on medical examination of the Life Assured, and stamp duty charges, as per applicable regulatory guidelines. Please note that this facility is available only at the first instance, on receipt of the original policy pack, and will not apply to duplicate policy packs issued by the Company on your request.

As an added convenience for you, we offer an easy-to-navigate online system to manage your policy. Log on to our website www.canarahsbclife.com and register to start using this service.

In case of any claim related matters you or the nominee may contact us at **Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited,** Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon -122009, Haryana, India. You can also get in touch with us on 1800-103-0003 /1800-180-0003 (BSNL/MTNL) or SMS us at 9779030003 or write to us at customerservice@canarahsbclife.in

We request you to pay your premiums on time (within 30 days of the due dates) to enjoy uninterrupted policy benefits. Thank you for giving us the opportunity to service your Insurance needs and we will ensure we are here to fulfill all your policy servicing needs.

Yours Sincerely,

Chirag Jain
Chief Operating Officer

Canara HSBC OBC Life Insurance

अभिनंदन पत्र

तिथि:

ग्राहक आईडी	आपके बैंक प्रतिनिधी का विवरण:
बीमा संख्या	नाम
प्रस्ताव संख्या	दूरभाष

प्रिय,

केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ परिवार में आपका स्वागत है । हम आपको Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Monthly Income Plan खरीदने की बधाई देते हैं।कृपया नोट करें कि यह 'REGULAR प्रीमियम' प्लान है।

यह दस्तावेज आपके बीमे का अनुबंध है जिसमें आपकी पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना शामिल हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया दस्तावेज का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और विवरण की जांच कर लें कि वो सही हों।

यदि आप बीमा में आपके द्वारा मुहैया कराए गए विवरण में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो कृपया इसकी सूचना हमारे समाधान केन्द्र को **1800-103-0003/1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ता)** पर संपर्क करें या आपके बैंक के प्रतिनिधी को दें । आप हमें **9779030003** पर एसएमएस कर सकते हैं या customerservice@canarahsbclife.in पर हमें लिख सकते हैं, हमारा प्रतिनिधी आपकी सुविधा अनुसार आपको संपर्क करेगा।

हमें विश्वास हैं कि यह पॉलिसी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, परन्तु अगर आप बीमा के नियम और शर्तों से सहमत नहीं हैं तो आप केन्सलेशन के विकल्प का चुनाव कर इसे बंद कर सकते हैं । आपके द्वारा कैंसीलेशन का विकल्प चुनने की स्थिति में हम आपसे इस प्रलेख को प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर अस्वीकार करने के कारण सहित इस पॉलिसी संविदा को वापस भेजने का अनुरोध करेंगे। आपका पत्र प्राप्त होने पर हम आपके द्वारा प्रदत्त प्रीमियम की वापसी करेंगे। प्रदत्त प्रीमियम, जीवन बीमा की अवधि के लिए समानुपाती जोखिम प्रीमियम और बीमाकृत व्यक्ति की चिकित्सा जांच पर हमारे द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, और लागू विनियामक दिशा -निर्देशों के अनुसार स्टैम्प् ड्यूटी प्रभारों की कटौती के अध्यधीन होगा। कृपया नोट करें कि यह सुविधा मूल बीमा दस्तावेज़ प्राप्त होने पर केवल प्रथमत: उपलब्ध होगी, और आपके अनुरोध पर कंपनी द्वारा निगमित डुप्लीकेट पॉलिसी पैक के लिए लागू नहीं होगी।

आपको एक और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हम पॉलिसी का प्रबंधन करने के लिए नेवीगेट करने में आसान ऑनलाइन सिस्टम की भी पेशकश करते हैं। इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.canarahsbclife.com पर लॉग ऑन करके इस पर अपना पंजीकरण कराएं।

किसी भी दावा संबंधी मामले में आप या नामिति हमें **केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,** यूनिटेक ट्रैड सेंटर, दूसरी मंजिल, सुशांत लोक, फ़ेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें 1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL) पर संपर्क कर सकते हैं या हमें 9779030003 पर SMS भी कर सकते हैं अथवा customerservice@canarahsbclife.in पर लिख सकते हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रीमियम का समय (देय तारीख के 30 दिनों के अंदर) पर भुगतान करें ताकि आप बिना किसी बाधा के पॉलिसी के फायदों का आनंद उठाते रहें। हम आपकी पॉलिसी सेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं।

धन्यवाद,

चिराग जैन
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर

TABLE OF CONTENTS / विषय-सूची

S. No.	Contents/ विषय-वस्तु
1.	**Policy Schedule / बीमा अनुसूची** This section contains the details like your name, date of birth, Product name, premium paying term and premium amount as provided in the proposal form. इस खंड में आपका नाम जन्म तिथि, प्रोडक्ट का नाम, प्रीमियम भुगतान करने की अवधि और प्रीमियम की रकम आदि का विवरण दिया गया है, जैसा कि प्रस्ताव फार्म में उल्लेख किया गया है।
2.	**First Premium Receipt / प्रथम प्रीमियम रसीद** This section contains detail of the first premium paid which can be used for claiming tax benefits as applicable. इस खंड में प्रथम प्रीमियम की रसीद दी गई है, जिसका इस्तेमाल यथा लागू कर लाभों का दावा करने के लिए किया जा सकता है।
3.	**Endorsement / पृष्ठांकन** This section reflects the stamp duty paid towards the policy and can be used for assigning the policy in future. इस खंड में पॉलिसी के लिए अदा किया गया स्टाम्प शुल्क दर्शाया गया है और इसका इस्तेमाल भविष्य में पॉलिसी को समनुदेशित करने के लिए भी किया जा सकता है।
4.	**Terms and Conditions / नियम एवं शर्तें** This section contains terms and conditions of your policy. इस खंड में आपकी पॉलिसी की नियम एवं शर्तें दी गई हैं।
5.	**Grievance Redressal / शिकायत निवारण** This section contains the Grievance Redressal procedure of the Company and contact details in case of any complaint. इस खंड में कंपनी की शिकायत निवारण कार्यविधि और किसी तरह की शिकायत के मामले के लिए संपर्क का विवरण दिया गया है।
6.	**List of Insurance Ombudsmen / बीमा लोकपालों की सूची** This section contains the contact details of life insurance Ombudsmen offices available across India. इस खंड में, भारतभर में उपलब्ध बीमा लोकपाल कार्यालयों के संपर्क विवरण दिए गए हैं।
7.	**Branch Locator / ब्रांच लोकेटर** This section contains the address and contact details of our offices across India. You can get in touch or visit any of our offices in case of any services required. इस खंड में, भारतभर में हमारे कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण दिए गए हैं। आपको यदि किसी सेवा की जरूरत है तो आप हमारे कार्यालय के संपर्क में रह सकते हैं य आप विजिट कर सकते हैं।
8.	**Copy of Proposal Form / प्रस्ताव फार्म की प्रतिलिपि** This section contains the copy of the proposal form of Life Insurance submitted by you for this Insurance policy इस खंड में, आपके द्वारा इस बीमा पॉलिसी के लिए प्रस्तुत किये गए जीवन बीमा के प्रस्ताव फार्म की प्रतिलिपि दी गई है।
9.	**Copy of Benefit Illustration , if applicable/ लाभ दृष्टांत की प्रति, यदि लागू हो** This section contains the copy of the Benefit Illustration submitted by you for this Insurance policy इस खंड में आपके द्वारा इस बीमा पॉलिसी के लिए प्रस्तुत लाभ दृष्टांत की प्रति शामिल है।

Canara HSBC OBC Life Insurance

POLICY SCHEDULE / बीमा अनुसूची

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (the Company) has received a Proposal and first premium from the Policyholder. The Proposal and declaration along with statements, reports or other documents leading to the issuance of this policy has been accepted by the Company and the Policyholder as the basis of this contract. This contract will be valid in consideration of and subject to receipt of subsequent premiums mentioned below, the terms and conditions of this Policy or any riders attached and any endorsements made. The Company shall pay relevant benefits and other amounts that become payable upon occurrence of one or more events mentioned in this Policy on receipt of proof that is satisfactory to the Company. The date of commencement of risk under this policy is as mentioned below.

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) को बीमाधारक से प्रस्ताव और प्रथम प्रीमियम प्राप्त हुआ है। विवरणों, रिपोर्ट या इस बीमा को जारी करने से संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्ताव, घोषणा और पॉलिसीधारक को कंपनी द्वारा इस अनुबंध के आधार पर स्वीकार कर लिया गया है । यह अनुबंध इस पर विचार और नीचे दिए गए भावी प्रीमियमों की प्राप्ति, बीमा के नियम और शर्तों या संलग्न कोई अन्य राइडर और किए गए किसी पृष्ठांकन के अध्यधीन होगी । कंपनी संगत लाभों और अन्य राशियों का भुगतान करेगी जो बीमा में दिए गए किसी एक या अधिक घटनाओं के घटित होने पर साक्ष्य द्वारा कंपनी को संतुष्ट करता हो । इस बीमा के तहत जोखिम के आरंभ होने की तिथि का उल्लेख नीचे किया गया है:

	Policy Holder Details / बीमाधारक का विवरण	Life Assured Details / बीमाकृत व्यक्ति का विवरण
Name / नाम		
Date of Birth / जन्म तिथि		
Age / आयु		
Gender / लिंग		

Policy Schedule Details / बीमा अनुसूची का विवरण

Proposal Number/ प्रस्ताव संख्या	
Policy Number / बीमा संख्या	
Plan Name / प्लान का नाम	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Monthly Income Plan
Plan Type / प्लान का प्रकार	Life/Individual/Par/Traditional
Policy Term (Years) / बीमा अवधि (वर्ष)	
Premium Paying Term (Years) / प्रीमियम भुगतान करने की अवधि (वर्ष)	
Installment Premium (₹)[1] / प्रीमियम की किस्त(₹)[1]	
Age Admitted / स्वीकृत आयु	
Risk Commencement Date /जोखिम प्रारंभ होने की तिथि	
Policy Commencement Date / बीमा प्रारंभ होने की तिथि	
Maturity Date / परिपक्वता तिथि	
Premium Payment Frequency / प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	
Next Premium Due Date / अगली प्रीमियम की देय तिथि	
Last Premium Due Date / अंतिम प्रीमियम की देय तिथि	
Monthly Income Start Date / मासिक आय प्रारंभ तिथि	
Monthly Income End Date / मासिक आय अंतिम तिथि	

Benefit Coverage Details / आने वाले लाभों का विवरण

Sum Assured (₹) / बीमाकृत रकम (₹)	
Death Benefit (₹) / मृत्यु लाभ (₹)	
Chosen Monthly income[2] / चुनी हुई मासिक आय[2]	
Set–Off option / सेट-ऑफ विकल्प	

Nominee Details* / नामिति का विवरण*

Name / नाम	Gender / लिंग

*Nominee details under section 39 of Insurance Act, 1938. / *बीमा अधिनियम, 1938 के खंड 39 के तहत नामिति का विवरण।

Appointee Name (in case nominee is minor)
नियुक्त व्यक्ति का नाम (अगर नामिति नाबालिग है)

[1]Service tax and other taxes as applicable from time to time, will be charged over and above this premium and will be borne by the policyholder./[1]सेवा कर और समय समय पर लागू अन्य करों का शुल्क, इस प्रीमियम के ऊपर लिया जाएगा और पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा।

[2]The Chosen monthly income will be directly credited to the bank account as per details provided in Proposal form. Please inform the company immediately in case of any change in bank. Please note that the policy benefits are guaranteed, provided all premiums are paid as and when due

[2]चुने गए महीने की आय, प्रस्ताव फॉर्म में दिए गए विवरण के अनुसार, सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी. कृपया बैंक खाते के विवरण में किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करें. कृपया नोट करें कि पॉलिसी लाभ गारंटिड हैं बशर्ते कि सभी प्रीमियमों का समय पर भुगतान कर दिया गया हो.

"On Examination of the Policy, if the Policyholder notices any mistake, the Policy Bond is to be returned for correction to the Insurer"

"पॉलिसी की जांच के दौरान, अगर पॉलिसीधारक को कोई त्रुटि नज़र आती है तो पॉलिसी बॉंड में इस त्रुटि को सही करने के लिए इसे बीमाकर्ता को लौटाया जाना चाहिए।"

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd. IRDA Registration no: 136.
Registered Office: C31 & C32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001
Corporate Office: Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok,
Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉ लि. आईआरडीए पंजीकरण सं.: 136.
पंजीकृत कार्यालय: C31 और C32, पहली मंजिल, कनॉट सर्किस, नई दिल्ली-110001
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिटेक ट्रैड सेंटर, दूसरी मंजिल, सुशांत लोक,
फ़ेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Monthly Income plan is a savings cum protection oriented, non linked participating insurance product

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट मंथली इनकम प्लान एक बचत और सुरक्षा संबंधित, नॉन लिंक्ड सहभागी बीमा उत्पाद है

FIRST PREMIUM RECEIPT / प्रथम प्रीमियम रसीद

Receipt Number / रसीद संख्या: **Date / तिथि:**

Policy Number / बीमा संख्या	
Policy Holder / बीमाधारक	
Plan Name / योजना का नाम	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Monthly Income Plan
Life Assured / बीमाकृत व्यक्ति	
Premium Payment Frequency / प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	
Sum Assured (₹)*/ बीमाकृत रकम (₹)*	

Payment Related Information / भुगतान संबंधी सूचना

Base Premium Payable (₹)*/ देय प्रीमियम (₹)*	
Underwriting Extra Premiums, if any (₹) / हामीदारी अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो (₹)	
Service Tax & Educational Cess (₹)*/ सेवा कर और शिक्षा उपकर (₹)*	
Total Premium Payable (₹) / कुल देय प्रीमियम (₹)	
Total premium received (₹) / कुल प्राप्त रकम (₹)	
Balance Amount (₹) / शेष रकम (₹)	
Next Premium Due Date / अगले प्रीमियम की देय तिथि	

“The death benefit will be "Higher of (Sum Assured chosen or 10 times of Annualised Premium excluding Underwriting Extra Premiums, if any and applicable Service Tax & Educational Cess) along with Accrued bonuses, if any subject to at least 105% of all premiums paid less extra premiums paid, if any"

“मृत्यु लाभ उपार्जित बोनसों सहित, यदि कोई हो, चुनी गई बीमित रकम या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 10 गुना (हामीदारी के अतिरिक्त प्रीमियम,यदि कोई हो और लागू सेवा कर एवं शिक्षा उपकर को छोड़कर) में से जो उच्चतर हो, उसके बराबर होगा बशर्ते कि कम से कम 105% सभी प्रीमियमों घटा अतिरिक्त प्रदत्त प्रीमियम,यदि कोई हो, का भुगतान किया गया हो।”

*Total premium payable for the policy is equal to Base Premium Payable plus Underwriting Extra premium, if any and applicable service tax and educational cess. You may be entitled for tax benefits under Section 80C as per the Income tax Act, 1961. Tax Benefits under the policy will be as per the prevailing Income Tax laws and are subject to amendments from time to time. For tax related queries, contact your independent tax advisor.
The amount indicated as Balance Amount, if any, will not earn any interest and will be adjusted towards future premiums on the due date.
Service Tax registration no. AADCC1881FST001.

*पॉलिसी के कुल देय प्रीमियम राशि उस मूल देय प्रीमियम तथा हामीदारी अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो और लागू सेवा कर और शिक्षा प्रशुल्क के बराबर होगी । आप आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार खंड 80सी के अंतर्गत कर लाभ के पात्र हो सकते हैं । पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ प्रचलित आयकर कानून और समय समय पर किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर हैं। कर संबंधी जानकारी के लिए, कृप्या अपने स्वतंत्र कर सलाहकार से संपर्क करें।
शेष प्रीमियम के रूप में इंगित राशि, यदि कोई, पर कोई ब्याज अर्जित नही होगा और इसे देय तिथि पर भावी प्रीमियम में समायोजित किया जाएगा।
सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या AADCC1881FST001.

*पॉलिसी के कुल देय प्रीमियम राशि उस मूल देय प्रीमियम तथा लागू सेवा कर और शिक्षा प्रशुल्क के बराबर होगी । आप आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार खंड 80सी के अंतर्गत कर लाभ के पात्र हो सकते हैं । पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ प्रचलित आयकर कानून और समय समय पर किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर हैं। कर संबंधी जानकारी के लिए, कृप्या अपने स्वतंत्र कर सलाहकार से संपर्क करें।
शेष प्रीमियम के रूप में इंगित राशि, यदि कोई, पर कोई ब्याज अर्जित नही होगा और इसे देय तिथि पर भावी प्रीमियम में समायोजित किया जाएगा।
सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या AADCC1881FST001.

This is a computer generated statement and does not require signature.
यह कंप्यूटर से तैयार किया गया दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है ।

ENDORSEMENTS / पृष्ठांकन

Total Stamp Value (₹) /

कुल मुद्रांक मूल्य (₹)

“The appropriate stamp duty towards this policy is paid"

"इस पॉलिसी की उचित स्टैम्प ड्यूटी अदा हो चुकी है"

Canara HSBC OBC Life Insurance

ENDORSEMENTS / पृष्ठांकन

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Smart Monthly Income Plan

UIN [136N029V01]

TERMS AND CONDITIONS

PREAMBLE

This Policy document evidences a legal contract between You and Us which has been concluded on the basis of Your statements and declarations in the proposal form and other documents evidencing insurability of the Life Assured. This is a traditional endowment policy which provides for a death benefit on the Life Assured's death and on his/her survival a regular monthly income to provide a supplemental income or support old age in order to finance life-stage milestones. The Policy also entitles You to participate in profits in the form of bonuses that will be declared by Us in accordance with the terms of the Policy, but does not otherwise give You any right over Our assets or to participate otherwise in Our profits, surplus or business.

INTERPRETATION

The terms and conditions are divided into numbered clauses for ease of reference and reading only. These divisions and the corresponding clause headings do not limit the Policy or its interpretation in any way. References to any statute or other law shall include subsequent changes to same.

GENERAL

In this contract, We/Us/Our/Company means the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited; You/Your means the policyholder specified in the Policy Schedule;

FREE-LOOK PERIOD

The Policyholder has the right to cancel the policy within 15 days from the date of receipt of policy document, in case he/she does not agree with the terms and conditions of the policy. If the policyholder cancels the policy during free look period, the Company will refund the Regular Premiums paid after deducting proportionate risk premium for the period of insurance cover and expenses incurred on medicals (if any) and stamp duty.

DEFINITIONS

Age means age last birthday;

Death Benefit Sum Assured is defined as higher of (Sum Assured or 10 times the annualised premium);

Financial Year means 12 months period commencing from April 1st every year;

Interim Bonus means the bonus that may be applied by Us, as a percentage of the Sum Assured, for the part of the Financial Year in which the Death Benefits are payable.

Lapse means a stage where no benefits are payable on account of non payment of due premium as per the terms of the policy.

Monthly Income Payout Period means the period between the monthly income start date and monthly income end date as specified in the Policy Schedule.

Policy means these Terms and Conditions, the attached Policy Schedule, the proposal form and all endorsements issued by Us from time to time;

Policy in force means all the due premiums till date are paid under this Policy.

Policy Month means 1 month period commencing from the Policy Commencement Date and each subsequent month thereafter during the Policy Term. The Policy Month may be different from the calendar month.

Policy Year means the 12 calendar months period commencing from the Policy Commencement Date and ending on the day immediately preceding the first policy anniversary and each subsequent period of 12 consecutive months thereafter during the Policy Term;

Simple Reversionary Bonus (Annual Bonus) means the bonus that may be declared by Us, as a percentage of the Sum Assured, at the end of each Financial Year based on the surplus emerging in Our with-profit fund. Any Reversionary Bonus declared by Us will accrue to the Policy and once accrued shall be guaranteed;

Surrender Value means the higher of the Guaranteed Surrender Value (GSV) or the Special Surrender Value (SSV), where:

(i) Guaranteed Surrender Value shall accrue after payment of atleast 3 (three) annual premiums. The Guaranteed Surrender Value shall be calculated as "GSV Factor at the rate specified in Annexure 1" times (Sum of Premium Paid excluding Service Tax and extra premium, if any) plus "GSV Factor for Bonus at the rate specified in Annexure 1" times (Sum of Bonuses accrued before acquiring paid-up status) less sum of all Monthly Income already paid under the Policy;

(ii) Special Surrender Value shall be offered by the Company which may vary from time to time.

Terminal Bonus (Final Bonus) means a bonus that may be declared by Us based on the performance of Our with-profit fund.

The terms '**Maturity Date**', '**Policy Commencement Date**', '**Risk Commencement Date**', '**Policy Term**', '**Monthly Income Payout Period**', '**Monthly Income**', '**Instalment Premium**', '**Sum Assured**', '**Appointee**', '**Life Assured**' and '**Nominee**', shall mean the respective dates, period, amount or names specified against each in the Policy Schedule.

PREMIUM PROVISIONS

Policy Premium

You shall pay the Regular Premium amounts at the frequency and for the term as specified in the Policy Schedule at the respective due dates and before the end of the Grace Period (30 days from the end of each due date). If any Regular Premium is received before the due date, it shall be credited to the Policy only on the due date and You shall not be entitled to any interest on such Regular Premium. Renewal Premiums can be paid in advance provided they are paid within the same Financial Year in which the premium is due.

Premium Discontinuance

The benefits under the Policy will be payable on the Life Assured's death during the Grace Period, subject to deduction of all amounts payable by the Life Assured. If any instalment of Regular Premium is not paid within the Grace Period and such default in payment of Regular Premium occurs:

(i) *Before the commencement of the 4th Policy Year*

The Policy and all benefits under the Policy shall immediately and automatically cease on the expiry of Grace Period & the Policy shall lapse.

(ii) *After the commencement of the 4th Policy Year*

The Policy shall acquire a Paid-up status, no future Simple Reversionary Bonuses or Terminal Bonus declared shall accrue to the Policy and all benefits payable shall be reduced in accordance with the paid-up provision.

You may revive Your lapsed or Paid-up Policy by giving Us a written application for revival and paying all due unpaid instalments of Regular Premium with interest at the rate specified by Us and completing the other requirements as may be stipulated by Us, within 2 consecutive years from the due date of the first unpaid instalment of Regular Premium. All medical expenses incurred (if any) shall be borne by You. We may accept or decline Your application to revive the lapsed Policy or Paid-up Policy as per Our Board approved underwriting Policy.

On revival of the Policy:

(i) All Simple Reversionary Bonuses that have been declared by Us after the lapse of the Policy and during the period before the revival of the Policy shall accrue to the Policy;

(ii) All Monthly Income amounts that fall due after the revival of the Policy shall be payable at the rate specified in the Policy Schedule;

(iii) We will pay a lumpsum amount equal to the difference between the Monthly Income amount specified in the Policy Schedule and the Reduced Monthly Income amount paid during the period when the Policy had acquired a Paid-up status and before the revival of the Policy. In arriving the lumpsum amount, We shall not be liable to pay any interest.

Note: If the lapsed Policy is not revived within the revival period of 2 years from the date of 1st unpaid premium, then the Policy shall stand terminated and no further benefit shall be payable. However, in case the Policy is in Paid-up status and is not revived within the revival period of 2 years, then the policy shall continue till payment of any of the following: (a) Death Benefit; or (b) Maturity Benefit; or (c) Surrender Benefit or (d) Last Monthly Income Benefit.

POLICY BENEFIT PROVISIONS AND OPTIONS

Monthly Income Benefit

We will pay the Monthly Income amount (subject to deduction of any outstanding loan amount including interest) every month after the commencement of the Monthly Income Payout Period and until the Maturity Date, provided that the Policy is in force and all due Regular Premium until each due date of payment of the Monthly Income amount has been received in full, except where set-off option has been applied to this Policy.

Note: Please note that, subject to any provision mentioned herein, if the monthly payout post deductions (if any) is less than ₹2000, the payout frequency will be reduced to next level (i.e. quarterly or semi-annual or annual) such that the minimum amount of income paid is greater than or equal to ₹2000.

Maturity Benefit

If the Life Assured is alive and the Policy is in force on the Maturity Date, We will pay the following to You:

(i) All accrued Simple Reversionary Bonuses;

(ii) Terminal Bonus (if any)

Death Benefit

If the Life Assured's death occurs on or after the Risk Commencement Date and before the Maturity Date when the Policy is in force, We will pay the following amounts, irrespective of the Monthly Income benefit paid till date of death after deducting any outstanding loan amounts and interest thereon:

A Death Benefit equal to the Death Benefit Sum Assured plus accrued annual bonuses plus Interim Bonus and final bonus (if any) accrued till the date of death, subject to at least 105% of [total premiums paid {excluding service tax} till the date of death less the extra premiums paid (if any)].

Note: The claim shall be paid to the Nominee specified under the Policy. If there is no Nominee or Nominee is not alive at the time of death of the life assured then the claim shall be paid to the legal heir/s of the deceased Life Assured as per the court directions.

Surrender Benefit

You may surrender the Policy any time during the Policy Term, provided that the Regular Premiums for at least 3 Policy Years has been paid. We will pay the Surrender Value applicable on the date of receipt of the request for surrender. Once the Policy is surrendered it cannot be revived and no benefits shall be payable under the Policy.

Regular Premium Set-off Option

Subject to no outstanding loan amount under this Policy, You can opt for Set-off Option either in the proposal form or anytime later but at least 6 months prior to the beginning of the Monthly Income Payout Period, provided that:

(i) If the Regular Premium payable is more than the Monthly Income amount receivable during the Policy Year, You shall be liable to pay the difference in Regular Premium to Us;

(ii) If the Regular Premium payable is less than the Monthly Income receivable during the Policy Year, We will pay the difference in Monthly Income to You.

Note:

(1) The Policyholder can opt or withdraw for "Set-off Option" multiple times until 6 months prior to the beginning of the Monthly Income Payout Period. Subsequently there can be no change made to the Set-off option opted by the Policyholder.

(2) In case the Policyholder opts for Loan under this Policy, then the Regular Premium Set-off option shall automatically be disabled.

Canara HSBC OBC Life Insurance

POLICY PROVISIONS

Policy Paid-up

If any instalment of Regular Premium is not paid within the Grace Period and such default in payment of Regular Premium occurs after the commencement of the 4th Policy Year the Policy shall acquire a Paid-up status, no future Simple Reversionary Bonuses or Terminal Bonus declared shall accrue to the Policy and all benefits payable shall be reduced in accordance with the following:

(i) Death Benefit: On the Life Assured's death when the Policy is in Paid-up status and before the Maturity Date, We will pay only the following reduced amounts after deducting any outstanding loan amounts and interest thereon:

(1) Reduced Death Benefit: Death Benefit Sum Assured * (number of Regular Premiums received/total number of Regular Premiums payable);

(2) All Simple Reversionary Bonuses that have accrued under the Policy until the Policy acquired a paid-up status.

Note: The claim shall be paid to the Nominee specified under the Policy. If there is no nominee or nominee is not alive at the time of death of the Life Assured then the claim shall be paid to the legal heir/s of the deceased Life Assured as per the court directions.

(ii) Monthly Income Benefit: Any Monthly Income amount that falls due under the Policy when the Policy is in paid-up status, shall be payable at the following reduced rate:

(1) Reduced Monthly Income = Monthly Income * (number of Regular Premiums received/total number of Regular Premiums payable).

(iii) Maturity Benefit: If the Life Assured is alive and the Policy is in paid-up status on the Maturity Date, We will pay only all Simple Reversionary Bonuses that have accrued under the Policy until the Policy acquired a paid-up status.

(iv) Surrender Benefit: You may surrender the Policy for the applicable Surrender Value.

Policy Loan

You may apply for a loan under the Policy at any time after the Policy acquires Surrender Value and before the commencement of the Monthly Income Payout Period, subject to the Policy being in force. The Loan cannot be availed once the policy goes into Paid-up status. Any loan granted by Us under this Policy shall be repayable with interest chargeable from the date of disbursement of the loan at the rate specified by Us, and in the amounts and at the frequency specified by Us in advance. A loan disbursement letter will be issued by Us informing You about the loan details including the applicable interest rate and relevant terms thereof. The Policy shall be conditionally assigned to Us on disbursement of the loan amount. The minimum loan amount disbursed under this policy shall be ₹20,000/- and in no case the loan disbursed will exceed 80% of the Surrender Value as applicable on the date of disbursement of the loan. The minimum repayment instalment shall be lower of ₹2,000/- or Outstanding Loan Amount and interest due (if any). Notwithstanding anything mentioned in the terms and conditions any payments made under this policy shall be subject to deduction of the outstanding loan including interest thereon (if any) under the Policy.

Termination of Policy

The Policy shall immediately and automatically terminate on the earlier of the Life Assured's death, Surrender or the Maturity Date and no further amounts shall be payable under the Policy.

GENERAL PROVISIONS

Rights & Obligations

All rights and obligations under this Policy vest with You and shall be discharged by You.

Assignment

You (assignor) may assign this policy to any party (assignee) by filing a written notice along with the original policy contract, in the presence of a witness, at any of our servicing offices. The assignment would either be endorsed on the original policy contract or documented by a separate instrument and in either case signed by the assignor, stating specifically the fact of assignment. We will not express any opinion on the validity or legality of the assignment. Only the entire policy can be assigned. Any assignment shall automatically cancel a nomination except an assignment in our favor.

Assignment made under this provision is as per Section 38 of the Insurance Act, 1938.

Nomination

You may at any time before the policy matures for payment, nominate a person or persons to receive the benefit payable under the Death Benefit provision. You may also appoint any person, who is a major to receive the death proceeds on behalf of the nominee during the nominee's minority. We will not recognize a nomination or change in nomination until we receive your notice in writing in the prescribed format at our Servicing Office. We will not express any opinion on the validity or legality of the nomination.

If there is no nominee or nominee is not alive at the time of death of the Life Assured then the claim shall be paid to the legal heir/s of the deceased Life Assured as per the court directions.

Nomination made under this provision is as per Section 39 of the Insurance Act, 1938.

Claim Procedures

We shall be given written notice of the Life Assured's death within 60 days of the death through completing Our Claim Intimation Form along with the following documents: original Policy document, claim formats provided by Us (claimant's statement), death certificate, first information report (if applicable), post mortem report (if applicable), identity and address proof and any such other documents as may be required by Us for evaluation of the claim. If We do not receive notification of the death within 60 days, We may condone the delay if the delay was for reasons beyond the claimant's control. The claim shall be paid to the Nominee specified under the Policy. If there is no nominee or nominee is not alive at the time of death of the life assured then the claim shall be paid to the legal heir/s of the deceased Life Assured as per the court directions.

Taxation

We are entitled to make such deductions and/or levy such charges, present and future which in Our opinion are necessary and appropriate, from and/or on the Regular Premium payable or Benefit amounts receivable under the Policy on account of any income, withholding, service tax, sales tax, value added or other tax, cess, duty or other levy which is or may be imposed in relation to the Policy by any legislation, order, regulation or otherwise upon Us, You or the Nominee. It is agreed and understood that We shall not be liable for any taxes on any personal income of You or the Nominee.

Misstatement of Age

The Age of the Life Assured has been admitted based on the Your declaration in the proposal form and documentation provided in support. If the Age of the Life Assured is found to be different from the age declared, We may, in Our discretion, adjust the Regular Premium and/or the Benefit amounts under the Policy and/or recover any additional amounts from You.

Suicide

If the Life Assured commits suicide for any reason, while sane or insane, when the Policy is in force and within one year from:

(i) the Risk Commencement Date, We will refund the 80% of the premiums paid till the date of the Life Assured's death;

(ii) the date of revival of the Policy, We will pay higher of 80% of the premiums paid till the date of the Life Assured's death or the Surrender Value applicable on the date of the Life Assured's death.

(iii) In case of suicide after one year from the date of inception of the policy or the date of revival and the policy is in force, death benefit as applicable shall be payable.

Non-Disclosure

In issuing this Policy, We have relied on the statements and declarations made by You in the proposal form and other documents submitted to Us. Subject to the provisions of applicable Indian law, including Section 45 of the Insurance Act, 1938, if any such information is found to be false, incorrect, incomplete or in any way misrepresented, We shall be entitled to terminate this Policy by paying the Surrender Value less outstanding loan and interest thereon (if any).

Fraud

In case fraud or misrepresentation, the policy shall be cancelled immediately by paying the surrender value, subject to the fraud and misrepresentation being established by the insurer in accordance with section 45 of the Insurance Act, 1938.

Change in Terms

We reserve the right to review, revise, delete and/or alter any of the terms and conditions of this Policy, including without limitation the Benefits applicable, with the prior approval of the IRDA. The terms and conditions shall also stand modified from time to time to the extent of change in regulatory provisions affecting the terms and conditions of this Policy.

Policy Currency

All Regular Premium and Benefits payable shall be paid in Indian Rupees only.

Governing Law & Jurisdiction

This Policy and all disputes arising under or in relation to the Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indian law and by the Indian courts.

Communication & Notices

We shall dispatch the Policy documents, communications and notices to You at the address specified in the proposal form, unless You have provided Us with written notice of Your updated address. If any such document, notice or communication returns undelivered, We may attempt to have the same delivered to You by alternative means.

Replacement of Policy document

We will replace a lost policy document when we are satisfied that it is lost. However we reserve the right to make investigations and to call for evidence of the loss of the policy document, as we may consider necessary before issuing a duplicate policy document. We may also charge a fee for the issue of a duplicate policy. Freelook cancellation will not be allowed for duplicate policy document issued to the Policyholder. However the Company may permit free look cancellation in such cases where after investigation, it is evident that the Customer has not received the original policy bond. In conducting electronic transactions, in respect of this policy, you shall comply with all such terms and conditions as prescribed by us. Such electronic transactions are legally valid and shall be binding on You.

Grievance Redressal

The contact details and procedure to be followed for any grievance arising in respect of this Policy are annexed as Annexure 2.

Section 45 of the Insurance Act, 1938

"No policy of life insurance effected before the commencement of this Act shall after the expiry of two years from the date of commencement of this Act and no policy of life insurance effected after the coming into force of this Act shall after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the policy holder and that the policy holder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which was material to disclose. Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life assured was incorrectly stated in the proposal."

Canara HSBC OBC Life Insurance

Annexure - I

Year of Surrender	(A) GSV Factor (As % of Sum of Premiums Paid, excluding extra premium, if any)	(B) GSV Factor for Bonus (To be multiplied with Sum of Bonuses accrued before acquiring paid-up status)
1	NIL	NIL
2	NIL	NIL
3	30%	0.14
4	50%	0.15
5	50%	0.16
6	50%	0.18
7	50%	0.19
8	52%	0.21
9	54%	0.23
10	56%	0.25
11	58%	0.27
12	60%	0.30
13	62%	0.33
14	64%	0.36
15	66%	0.39
16	68%	0.42
17	70%	0.46
18	72%	0.50
19	74%	0.55
20	76%	0.60
21	78%	0.65
22	80%	0.71
23	82%	0.77
24	84%	0.84
25	86%	0.92

Canara HSBC OBC Life Insurance

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट मंथली इन्कम प्लान
UIN [136N029V01]
शर्तें एवं निबंधन

प्रस्तावना

यह पॉलिसी प्रलेख आपके और हमारे बीच के वैधानिक संविदा को प्रमाणित करता है, जिसे प्रस्ताव फॉर्म, आपके कथन और घोषणाओं और बीमाकृत व्यक्ति की बीमा योग्यता को प्रमाणित करने वाले अन्य दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक परंपरागत एंडाउमेंट पॉलिसी है जो पॉलिसीधारक की मृत्यु होने होने पर मृत्यु लाभ मुहैया कराती है और उसके जीवित रहने पर जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का वित्तपोषण करने के लिए बुढ़ापे के लिए पूरक आय/सहायता प्रदान करने के लिए नियमित आय प्राप्त होती है। पॉलिसी आपको बोनस के रूप में लाभों में भागीदारी करने का हक देती है, जिसकी घोषणा हमारे द्वारा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार की जाएगी मगर हम आपको हमारी परिसंपत्ति पर कोई अधिकार या हमारे अन्य लाभ, अधिशेष या बिज़नेस में भागीदारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

व्याख्या

संदर्भ और पठन में सरलता के लिए इन शर्तों एवं निबंधनों को क्रमांकित खंडों में विभाजित किया गया है। ये विभाजन और तदनुरूपी खंड के शीर्षक किसी भी रूप में पॉलिसी या इसकी व्याख्या को सीमित नहीं करते हैं। किसी अधिनियम या अन्य कानून से संबंधित संदर्भ में, इसमें बाद में किए गए बदलाव शामिल होंगे।

सामान्य

इस संविदा में, हम/हमें/कंपनी का तात्पर्य केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से है; आप/आपका का तात्पर्य पॉलिसी शेडयूल में उल्लिखित पॉलिसीधारक से है;

पुनर्विचार अवधि

अगर बीमाधारक पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनो से सहमत नहीं है तो उसे बीमा दस्तावेज प्राप्त होने के बाद से 15 दिन की अवधि के अन्दर पॉलिसी को रद्द करने का अधिकार है। यदि बीमाधारक पुनर्विचार अवधि के दौरान बीमा को रद्द करवाता है तो कंपनी चुकाए गए नियमित प्रीमियम को बीमा कवर अवधि के लिए समानुपातिक जोखिम प्रभारों और मेडिकल एवं स्टैम्प ड्यूटी पर हुए व्यय (यदि कोई है) को काटने के बाद वापस करेगी।

परिभाषाएं

आयु का तात्पर्य पिछले जन्म दिन की आयु से है;

मृत्यु हितलाभ बीमाकृत रकम (बीमाकृत रकम या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना);

वित्तीय वर्ष का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 12 महीनों की अवधि से है;

अंतरिम बोनस का तात्पर्य उस बोनस से है जो हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु लाभ देय हैं, के किसी भाग के लिए बीमाकृत रकम के प्रतिशत के रूप में घोषित किया जाए।

लैप्स का तात्पर्य उस चरण से है जिसमें पॉलिसी की शर्तों के अनुसार देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के कारण कोई लाभ देय नहीं होता है।

मासिक आय भुगतान अवधि का तात्पर्य पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक आय शुरू होने की तारीख और मासिक आय समाप्त होने की तारीख की बीच की अवधि से है।

पॉलिसी का तात्पर्य इन शर्तों एवं निबंधनों, संलग्न पॉलिसी अनुसूची, प्रस्ताव फॉर्म और हमारे द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पृष्ठांकन से है;

पॉलिसी जारी रहना, का मतलब है कि इस पॉलिसी के तहत आज तिथि तक देय सभी प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है;

पॉलिसी माह का तात्पर्य पॉलिसी शुरू होने की तारीख से शुरू होने वाली एक माह की अवधि और इसके बाद, पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती माह से है;

पॉलिसी वर्ष का तात्पर्य पॉलिसी शुरू होने की तारीख से शुरू होकर प्रथम पॉलिसी वर्षगांठ से ठीक पहले पाले दिन पर समाप्त होने वाली 12 कैलेंडर महीनों की अवधि और तत्पश्चात पॉलिसी अवधि के दौरान 12 क्रमागत महीनों की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि से है;

साधारण प्रत्यावर्ती बोनस (वार्षिक बोनस) का तात्पर्य उस बोनस से है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा लाभप्रद फंड में उत्पन्न अधिशेष के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। हमारे द्वारा घोषित कोई भी प्रत्यावर्ती बोनस पॉलिसी को प्राप्त होगा और एक बार उपार्जित होने पर यह गारंटीड हो जाएगा;

अभ्यर्पण वैल्यू का तात्पर्य गारंटीड अभ्यर्पण (GSV) वैल्यू या विशेष अभ्यर्पण वैल्यू के अधिक से है, जिसमें:

(i) गारंटीड अभ्यर्पण वैल्यू कम से कम तीन वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के बाद उपार्जित होगी। गारंटीड अभ्यर्पण वैल्यु की गणना "अनुलग्नक 1 निर्दिष्ट दर पर GSV घटक" गुना (सेवा कर और अतिरिकत प्रीमियम, यदि कोई हो को छोड़कर चुकता प्रीमियम की रकम) जमा "अनुलग्नक 1 निर्दिष्ट दर पर बोनस के लिए GSV घटक" गुना (चुकता स्थिति प्राप्त करने से पहले उपार्जित बोनस की रकम) घटा इस पॉलिसी के तहत पहले अदा की गई मासिक आय;

(ii) कंपनी द्वारा विशेष अभ्यर्पण वैल्यू ऑफर की जाएगी, जिसमें समय-समय पर अंतर हो सकता है।

टर्मिनल बोनस (अंतिम बोनस) का तात्पर्य उस बोनस से है जो हमारे द्वारा हमारे लाभप्रद फंड के प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाए।

'परिपक्वता तिथि', 'पॉलिसी शुरू होने की तारीख', 'जोखिम शुरू होने की तारीख', 'पॉलिसी अवधि', 'मासिक आय भुगतान अवधि', 'मासिक आय', 'किश्त प्रीमियम', बीमाकृत रकम', 'नियुक्त व्यक्ति', बीमाकृत व्यक्ति' और 'नामिति' का तात्पर्य पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट संबंधित तारीखों, अवधि, रकम या नामों से है।

प्रीमियम उपबंध

पॉलिसी प्रीमियम

आपको पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट अंतराल पर और अवधि के लिए नियमित प्रीमियम की रकम का भुगतान संबंधित देय तारीख और छूट अवधि (प्रत्येक देय तारीख समाप्त होने के बाद 30 दिन की अवधि) समाप्त होने से पहले करना होगा। यदि नियमित प्रीमियम देय तारीख से पहले प्राप्त हो जाता है तो इसे केवल देय तारीख पर ही पॉलिसी में जमा किया जाएगा और आप ऐसे किसी नियमित प्रीमियम पर ब्याज पाने के हकदार नहीं होंगे। नवीकरण प्रीमियम का भुगतान अग्रिम में किया जा सकता है बशर्ते कि उनका भुगतान उसी वर्ष के अंदर कर दिया जाता है जिसमें प्रीमियम देय है।

प्रीमियम का भुगतान बंद करना

छूट अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमाकृत व्यक्ति को सभी देय राशियों की कटौती करने के बाद पॉलिसी के अधीन लाभों का भुगतान किया जाएगा। यदि छूट अवधि के दौरान नियमित प्रीमियम की किसी किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है और नियमित प्रीमियम के भुगतान में यह चूक निम्नवत होती है:

(i) *चौथे पॉलिसी वर्ष के शुरू होने से पहले:*
तो छूट अवधि समाप्त होने के बाद पॉलिसी और इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ तुरंत स्वत: बंद हो जाएंगे और पॉलिसी व्यपगत हो जाएगी।

(ii) *चौथे पॉलिसी वर्ष के शुरू होने के बाद:*
पॉलिसी को प्रदत्त का दर्जा मिल जाएगा, और भविष्य में घोषित कोई भी प्रत्यावर्ती बोनस या टर्मिनल बोनस पॉलिसी को प्राप्त नहीं होगा तथा सभी देय लाभों में प्रदत्त उपबंधों के अनुसार कमी की जाएगी।.

आप पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए लिखित में आवेदन करके और नियमित प्रीमियमों की सभी अदत्त किश्तों का हमारे द्वारा तय दर से ब्याज सहित भुगतान करके तथा हमारे द्वारा यथा निर्धारित शर्तों को पूरा करके नियमित प्रीमियम की पहली अदत्त किश्त की देय तारीख से दो क्रमागत वर्षों के भीतर अपनी व्यपगत या प्रदत्त पॉलिसी को फिर से शुरू करवा सकते हैं। इस संबंध में किए गए सभी चिकित्सा व्ययों (यदि कोई हों) को आपको वहन करना होगा। हम व्यपगत या प्रदत्त पॉलिसी के लिए आपके आवेदन को हमारे बोर्ड द्वारा अनुमोदित हामीदारी पॉलिसी के तहत स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

पॉलिसी के फिर से चालू होने पर:

(i) सभी साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, जिनकी घोषणा हमारे द्वारा पॉलिसी के व्यपगत होने के बाद और पॉलिसी के फिर से चालू होने से पहले की अवधि के दौरान की गई है, पॉलिसी को प्राप्त होंगे;

(ii) सभी मासिक आय राशियां, जो पॉलिसी के फिर से शुरू होने बाद देय हुई हैं, पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट दर से देय होंगी;

(iii) हम पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक आय की रकम के अंतर के बराबर की एकमुश्त रकम का भुगतान करेंगे और घटी हुई मासिक आय की रकम का भुगतान पॉलिसी द्वारा प्रदत्त पॉलिसी का दर्जा हासिल करने और पॉलिसी के फिर से शुरू होने से पहले की अवधि के दौरान किया जाएगा। एकमुश्त रकम के लिए हम किसी तरह के ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

नोट: अगर पहली अदत्त प्रीमियम की किश्त की तारीख से 2 वर्षों के भीतर पॉलिसी को फिर से चालू नहीं कराया जाता है तो पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी और कोई और लाभ देय नहीं होगा। बहरहाल, यदि पॉलिसी प्रदत्त स्थिति में है और दो वर्ष के रिवाइवल अवधि के अंदर फिर से शुरू नहीं करवाई गई है तो पॉलिसी निम्नलिखित में किसी एक के भुगतान होने तक चालू रहेगी: (क) मृत्यु लाभ; या (ख) परिपक्वता लाभ; या (ग) अभ्यर्पण लाभ या (घ) अंतिम मासिक आय लाभ।

पॉलिसी लाभ उपबंध और विकल्प

मासिक आय लाभ

हम मासिक आय भुगतान अवधि के शुरू ओने के बाद हर माह परिपक्वता की तारीख तक मासिक आय राशि (किसी बकाया ऋण राशि की ब्याज सहित कटौती के अधीन) का भुगतान करेंगे बशर्ते की पॉलिसी चालू हालत में है और मासिक आय रकम की देय तारीख तक सभी नियमित प्रीमियम हमें प्राप्त हो गए हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर, जिनमें इस पॉलिसी पर सेट-ऑफ विकल्प लागू किया गया है।

नोट: कृपया नोट करें कि यहां इसमें दिए गए किसी उपबंध के अध्यधीन, अगर मासिक भुगतान उपरांत की कटौतियां (यदि कोई हों) ₹2000; से कम है तो भुगतान आवृत्ति को कम करके अगले लेवल पर लाया जाएगा (अर्थात् तिमाही या छमाही या वार्षिक) जिससे कि अदा की गई आय की न्यूनतम रकम ₹2000 के बराबर या इससे अधिक हो जाए।

परिपक्वता लाभ

यदि परिपक्वता तारीख पर बीमाकृत व्यक्ति जीवित है और पॉलिसी चालू है तो हम आपको निम्नलिखित का भुगतान करेंगे:

(i) सभी उपचित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस;

(ii) टर्मिनल बोनस (यदि कोई हो)

मृत्यु हितलाभ

यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु जोखिम शुरू होने की तारीख पर या इसके बाद तथा परिपक्वता तारीख, जब पॉलिसी चालू रहती है, से पहले हो जाती है तो किसी बकाया ऋण और तत्संबंधी ब्याज को काटने के बाद मृत्यु की तारीख तक अदा किए गए मासिक आय लाभ का ध्यान किए बगैर निम्नलिखित राशियों का भुगतान करेंगे:

[मृत्यु की तारीख तक अदा किया गया कुल प्रीमियम {सेवा कर को छोड़कर} घटा अदा किया गया अतिरिक्त प्रीमियम (यदि कोई है)] के कम से कम 105 प्रतिशत के अध्यधीन मृत्यु लाभ बीमाकृत रकम के बराबर मत्यु लाभ जमा उपचित वार्षिक बोनस जमा अंतरिम बोनस एवं मृत्यु की तारीख तक उपचित अंतिम बोनस (यदि कोई है) का भुगतान करेंगे।

<u>नोट</u>: दावे का भुगतान पॉलिसी में निर्दिष्ट नामिति को किया जाएगा। यदि कोई नामिति नहीं है या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय नामिति जीवित नहीं है तो न्यायालय के निर्देशानुसार मृत बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को दावे का भुगतान किया जाएगा।

अभ्यर्पण लाभ

आप पॉलिसी अवधि के दौरान, पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकते हैं बशर्ते कि कम से कम तीन पॉलिसी वर्षों के नियिमित प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। हम अभ्यर्पण हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख पर लागू अभ्यर्पण वैल्यू का भुगतान करेंगे। एक बार पॉलिसी को अभ्यर्पित करने के बाद इसे दुबारा चालू नहीं करवाया जा सकता और इस पॉलिसी के तहत कोई लाभ देय नहीं होंगे।

नियमित प्रीमियम सेट-ऑफ विकल्प

इस पॉलिसी के तहत कोई ऋण बकाया नहीं होने के अध्यधीन, आप इस प्रस्ताव फार्म या बाद में किसी भी समय, मगर मासिक आय भुगतान अवधि शुरू होने से कम से कम 6 महीने पहले सेट-ऑफ का विकल्प चुन सकते हैं, परंतु:

(i) यदि नियमित प्रीमियम की रकम पॉलिसी वर्ष के दौरान प्राप्य मासिक आय की रकम से अधिक है तो आपको नियमित प्रीमियम और हमारी रकम के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा;

(ii) यदि नियमित प्रीमियम की रकम पॉलिसी वर्ष के दौरान प्राप्य मासिक आय की रकम से कम है तो हम आपको मासिक आय के अंतर की राशि का भुगतान करेंगे।

नोट:

(1) पॉलिसीधारक मासिक आय भुगतान अवधि शुरू होने से 6 महीने पहले तक कितनी ही बार "सेट-ऑफ विकल्प' को चुन या छोड़ सकता है। इसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा लिए गए सेट-ऑफ विकल्प में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

(2) यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के तहत ऋण का विकल्प लेता है तो नियमित प्रीमियम सेट-ऑफ विकल्प स्वतः डिशेबल हो जाएगा।

पॉलिसी उपबंध

पॉलिसी प्रदत्त

यदि नियमित प्रीमियम की किसी किश्त का भुगतान छूट अवधि के अंदर नहीं किया जाता है और नियमित प्रीयियम के भुगतान में यह चूक पॉलिसी का चौथा वर्ष शुरू होने के बाद होती है तो पॉलिसी प्रदत्त हो जाती है और पॉलिसी को भविष्य में घोषित कोई भी साधारण प्रत्यावर्ती बोनस या टर्मिनल बोनस प्राप्त नहीं होगा और सभी देय लाभों में निम्नानुसार कमी की जाएगी:

(i) <u>मृत्यु लाभ:</u> यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी के प्रदत्त होने की स्थिति में और मेच्योरिटी तारीख से पहले हो जाती है तो हम बकाया ऋण रकम और तत्संबंधी ब्याज को काटकर निम्नलिखित राशियों का भुगतान करेंगे:

Canara HSBC OBC Life Insurance

(1) पहले से कम मृत्यु लाभ = मृत्यु लाभ बीमाकृत रकम * (प्राप्त नियमित प्रीमियम की किश्तों की संख्या/ देय नियमित प्रीमियम की किश्तो की कुल संख्या);

(2) सभी साधारण प्रत्यावर्ती बोनस जो पॉलिसी के प्रदत्त दर्जा प्राप्त करने तक पॉलिसी के अधीन प्राप्त हुए हैं।

<u>नोट</u>: दावे का भुगतान पॉलिसी में निर्दिष्ट नामिति को किया जाएगा। यदि कोई नामिति नहीं है या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय नामिति जीवित नहीं है तो न्यायालय के निर्देशानुसार मृत बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को दावे का भुगतान किया जाएगा।

(ii) <u>मासिक आय लाभ:</u> मासिक आय की कोई रकम, जो पॉलिसी के प्रदत्त होने पर पॉलिसी के तहत देय हो जाती है, इसका भुगतान निम्नलिखित घटी दर से किया जाएगा:

(1) पहले से कम मासिक आय = मासिक आय* (प्राप्त नियमित प्रीमियम की किश्तों की संख्या/देय नियमित प्रीमियम की किश्तो की कुल संख्या);

(iii) <u>परिपक्वता लाभ:</u> यदि परिपक्वता की तारीख पर बीमाकृत व्यक्ति जीवित है और पॉलिसी प्रदत्त स्थिति में है तो हम पॉलिसी के प्रदत्त होने तक पॉलिसी के तहत उपचित होने वाले सभी साधारण प्रत्यावर्ती बोनसों का भुगतान करेंगे।

(iv) <u>अभ्यर्पण लाभ:</u> आप लागू अभ्यर्पण वैल्यू के लिए पॉलिसी को अभ्यर्पित कर सकते हैं।

पॉलिसी ऋण

आप पॉलिसी द्वारा अभ्यर्पण वैल्यु प्राप्त करने के बाद और मासिक आय भुगतान अवधि शुरू होने से पॉलिसी के चालू रहने के अध्यधीन किसी भी समय इस पॉलिसी के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पॉलिसी के प्रदत्त होने के बाद ऋण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इस पॉलिसी के तहत हमारे द्वारा दिए गए ऋण को प्रभार योग्य ब्याज सहित ऋण प्रदान करने की तारीख से हमारे द्वारा निर्धारित आवृत्ति से करना होगा। हमारे द्वारा ऋण संवितरण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें आपको लागू ब्याज और तत्संबंधी शर्तों सहित ऋण के विवरण के बारे में बताया जाएगा। ऋण प्रदान करने पर पॉलिसी सशर्त हमें सौंपी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण की न्यूनतम रकम ₹ 20,000 होगी और किसी भी स्थिति में प्रदान किया गया ऋण, ऋण प्रदान करने की तारीख पर लागू अभ्यर्पण वैल्यू के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। न्यूनतम रिपेमेंट किश्त ₹ 2000 से कम या बकाया ऋण और देय ब्याज (यदि कोई है) की रकम होगी। शर्तों एवं निबंधनों में उल्लेख होते हुए भी इस पॉलिसी के तहत किया गया कोई भी भुगतान इस पॉलिसी के तहत बकाया ऋण और तत्संबंधी ब्याज (यदि कोई है) की कटौती के अध्यधीन होगा।

पॉलिसी को समाप्त करना

बीमाकृत व्यक्ति की पहले मृत्यु होने, अभ्यर्पित करने या परिपक्वता तारीख पर पॉलिसी तुरंत और स्वत: समाप्त हो जाएगी और इस पॉलिसी के तहत कोई और राशि देय नहीं होगी।

सामान्य उपबंध

अधिकार और दायित्व

इस पॉलिसी के तहत सभी अधिकार और दायित्व आपमें निहित हैं और इनका निर्वहन आपको करना होगा।

समनुदेशन

आप (समनुदेशक) इस पॉलिसी को एक लिखित नोटिस को भरकर इसे मूल पॉलिसी संविदा के साथ गवाह की उपस्थिति में हमारे किसी भी सर्विसिंग ऑफिस में प्रस्तुत कर सकते हैं। समनुदेशन को मूल पॉलिसी संविदा पर पृष्ठांकित किया जाएगा या पृथक विकल्प द्वारा इसे प्रलेखित किया जाएगा और अन्य मामले में समनुदेशक हस्ताक्षर करके समनुदेशन के तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख करेगा। हम समनुदेशन की वैधता या पुष्टता पर कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे। हमारे पक्ष में किए गए समनुदेशन को छोड़कर किए गए समनुदेशन से नामांकन स्वत रद्द हो जाएगा।

इस उपबंध के अधीन किया गया समनुदेशन बीमा अधिनियम की धारा 38 के अनुसार है।

नामांकन

आप पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने से पहले किसी भी समय मृत्यु लाभ उपबंध के तहत देय लाभ प्राप्त करने के लिए किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को भी नामित कर सकते हैं जो नामिति के नाबालिग रहने के दौरान नामिति की ओर से मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए बालिग है। हम अपनी सर्विसिंग ऑफिस में निर्धारित फार्मेट में आपकी ओर से लिखित नोटिस प्राप्त नहीं होने तक नामांकन या नामांकन में परिवर्तन को मान्यता नहीं देंगे। हम नामांकन की वैधता या पुष्टता पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

यदि नामिति नहीं है या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय नामिति जीवित नहीं रहता है तो न्यायालय के निर्देशानुसार मृत बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को दावे का भुगतान किया जाएगा।

इस उपबंध के तहत किया गया नामांकन बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार है।

दावा प्रक्रिया

हमें बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की सूचना, मृत्यु होने के 60 दिनों के अंदर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे दावा सूचना फार्म में दी जानी चाहिए: मूल पॉलिसी दस्तावेज, हमारे द्वारा मुहैया कराए गए दावा फार्म (दावाकर्ता का कथन), मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि लागू है), पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (यदि लागू है), पहचान और पते का प्रमाण, और ऐसा कोई दस्तावेज, जो दावे के मूल्यांकन के लिए हमारे द्वारा मांगा जाए। यदि हम 60 दिनों के अंदर नोटिस प्राप्त नहीं करते हैं तो हम उस विलंब को माफ कर सकते हैं जो दावाकर्ता के नियंत्रण से बाहर कारणों से हुआ है। इस पॉलिसी में निर्दिष्ट नामिति को दावे का भुगतान किया जाएगा। यदि नामिति नहीं है या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय नामिति जीवित नहीं रहता है तो न्यायालय के निर्देशानुसार मृत बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को दावे का भुगतान किया जाएगा।

कराधान

हमें किसी आय, विदहोल्डिंग, सेवा कर, बिक्री कर, मूल्य संवर्धन या अन्य कर, उपकर या अन्य कर, शुल्क या अन्य लेवी, जो पॉलिसी के संबंध में किसी कानून या विनियम या अन्य द्वारा हम पर या आप पर या नामिति पर लगाए गए हैं, के कारण पॉलिसी के तहत देय नियमित प्रीमियम या प्राप्त लाभ से और/या इन पर ऐसे वर्तमान और भावी कटौतियां करने और/या लेवी प्रभार प्रभारित करने का अधिकार है, जो हमारी राय में आवश्यक और उचित हैं। इस पर सहमति और स्वीकृति है कि हम आपकी या नामिति की किसी निजी आय पर किसी कर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

उम्र गलत बताना

बीमाकृत व्यक्ति की उम्र आपके द्वारा प्रस्ताव फार्म में की गई घोषणा और इसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार की जाती है। यदि बीमाकृत व्यक्ति की उम्र घोषित उम्र से अलग पाई जाती है तो हम अपने स्वविवेक से नियमित प्रीमियम और/या इस पॉलिसी के तहत लाभ को समायोजित कर सकते हैं और/या आपसे अतिरिक्त राशि की वसूली कर सकते हैं।

आत्महत्या

यदि बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी चालू रहने और निम्नलिखित तारीख से एक साल के अंदर पूरे होशो-हवाश या उन्माद में किसी भी कारण से आत्महत्या कर लेता है:

(i) जोखिम शुरू होने के तारीख से, तो हम बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक अदा किए गए प्रीमियम के 80 प्रतिशत रिफंड करेंगे;

Canara HSBC OBC Life Insurance

(ii) पॉलिसी को फिर शुरू करने की तारीख से, तो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक अदा किए गए प्रीमियम का 80 प्रतिशत या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख पर लागू अभ्यर्पण वैल्यू का भुगतान करेंगे।

(iii) यदि पॉलिसी शुरू होने की तारीख, या पॉलिसी को फिर से चालू करवाने की तारीख से एक साल के बाद बीमाकृत व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और पॉलिसी चालू हालत में है तो यथा लागू मृत्यु लाभों का भुगतान किया जाएगा।

खुलासा न करना

कंपनी ने इस पॉलिसी को जारी करने में आपके द्वारा प्रस्ताव फार्म और अन्य दस्तावेजों में की गई घोषणा पर भरोसा किया है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 सहित लागू भारतीय विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन यदि कोई सूचना, घोषणा या कथन असत्य या गलत पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई या गलत तरीके से दी जाती है तो हमें अभ्यर्पण वैल्यू घटा बकाया ऋण और तत्संबंधी ब्याज (यदि कोई है) का भुगतान करने के बाद इस पॉलिसी को समाप्त करने का हक होगा।

धोखाधड़ी

धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुति मामले में, बीमा कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार, धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुति स्थापित किए जाने के अध्यधीन अभ्यर्पण वैल्यु का भुगतान करके पॉलिसी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

शर्तों में बदलाव

हमें आईआरडीए की पूर्व अनुमति से लागू लाभों को कम किए बगैर इस पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों की समीक्षा करने, बदलाव करने, हटाने और/या संशोधन करने का अधिकार है। इस पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों को प्रभावित करने वाले विनियामक प्रावधानों में किए गए बदलाव की सीमा तक समय-समय पर इन शर्तों एवं निबंधनों में भी संशोधन किए जाएगे।

पॉलिसी मुद्रा

सभी देय नियमित प्रीमियम और लाभों का भुगतान केवल भारतीय रुपये में किया जाएगा।

शासी कानून और न्यायाधिकार क्षेत्र

यह पॉलिसी और इस पॉलिसी के तहत और इसके संबंध में उत्पन्न सभी विवाद भारतीय कानून के अनुसार और ये भारतीय न्यायालयों द्वारा शासित और व्याख्यित होंगे।

पत्र और नोटिस

हम पॉलिसी दस्तावेज, पत्र और नोटिस को आपके द्वारा प्रस्ताव फार्म दिए गए पत्राचार के पते पर भेजेगें, बशर्ते कि आपने हमें अपना अपडेटिड पते की सूचना लिखित में न दी हो। यदि पॉलिसी दस्तावेज, पत्र और नोटिस बिना डिलिवर हुए वापस आ जाते हैं तो हम इन्हें आपको को किसी दूसरे माध्यम, जो उचित समझा जाए, से भेजने का प्रयास कर सकते हैं

डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करना

जब हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि पॉलिसी दस्तोवज गुम हो गए हैं, इनके स्थान पर डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी किए जाते हैं। बहरहाल, डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करने से पहले हमें पॉलिसीधारक के खर्च पर जांच करने या पॉलिसी दस्तावेज के गुम हो जाने का प्रमाण मांगने, जैसा भी उचित लगे, का अधिकार है। हम डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तोवज जारी करने के बदले में शुल्क भी ले सकते हैं। कंपनी ऐसे मामलों में पुनर्विचार रद्दीकरण की अनुमति दे सकती है, जिनमें जांच के बाद यह पाया जाता है कि कस्मटर को मूल पॉलिसी बांड नहीं मिले हैं। इस पॉलिसी के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने में आपको हमारे द्वारा निर्धारित सभी शर्तों एवं निबंधनों का पालन करना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वैध हैं और आप इनको मानने के लिए बाध्य होंगे।

शिकायत निवारण

इस पॉलिसी के संबंध में उत्पन्न किसी शिकायत के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और संपर्क विवरण अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

"उस तिथि, जिस दिन से बीमा चालू हुआ है, से दो वर्ष पूरे होने पर, जीवन बीमा के किसी भी बीमा पर बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर कि प्रस्ताव में दिया गया विवरण, या चिकित्सा अधिकारी की रपट, या मध्यस्थ या बीमाधारक के मित्र अथवा बीमा के निर्गम के कारण किसी अन्य दस्तोवज में दिया गया विवरण गलत या मिथ्या थे, पर तब तक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जब तक कि बीमाकर्ता यह प्रकट नहीं करता कि यह विवरण महत्वपूर्ण विषय या छिपाए गए तथ्यों पर आधारित थे, जिन्हें प्रकट करना आवश्यक था और जिन्हें बीमाधारक द्वारा कपटपूर्वक प्रकट किया गया था और जिनके बारे में बीमाधारक बीमा करते समय जानता था कि विवरण मिथ्या थे या छिपाए गए थे, जिन्हें प्रकट करना जरूरी था। परंतु इस धारा की कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती, बशर्ते कि उसे ऐसा करने का अधिकार हो, और किसी भी पॉलिसी पर केवल इस तथ्य के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि बाद के प्रमाण से पॉलिसी की शर्तों को समायोजित कर लिया गया है और कि बीमाकृत व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।"

<u>अनुलग्नक – I</u>

अभ्यर्पण का वर्ष	(A) GSV कारक (अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई है, को छोड़कर अदा किए गए प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)	(B) बोनस के लिए GSV कारक (प्रदत्त दर्जा हासिल करने से पहले उपचित बोनस से गुणा किया जाएगा)
1	NIL	NIL
2	NIL	NIL
3	30%	0.14
4	50%	0.15
5	50%	0.16
6	50%	0.18
7	50%	0.19
8	52%	0.21
9	54%	0.23
10	56%	0.25
11	58%	0.27
12	60%	0.30
13	62%	0.33
14	64%	0.36
15	66%	0.39
16	68%	0.42
17	70%	0.46
18	72%	0.50
19	74%	0.55
20	76%	0.60
21	78%	0.65
22	80%	0.71
23	82%	0.77
24	84%	0.84
25	86%	0.92

Canara HSBC OBC Life Insurance

GLOSSARY OF IMPORTANT TECHNICAL TERMS IN AN INSURANCE POLICY

बीमा पॉलिसी में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों की शब्दावली

This document aims to explain certain technical terms of the insurance policy in a simple and easy language.

इस दस्तोवज का उद्देश्य बीमा पॉलिसी के कुछ तकनीकी शब्दों/वाक्यों की व्याख्या सरल भाषा में करना है।

S.No. क्र.सं.	Technical Term / तकनीकी शब्द
1.	**Assignment / समनुदेशन** Assignment is a method by which the Policy Holder can transfer his/her interest in the Policy to another person. An assignment can be made by an endorsement on the policy document or as a separate deed. Assignment can either be conditional or absolute. समनुदेशन एक विधि है जिसके द्वारा पॉलिसीधारक, पॉलिसी में अपने हित को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। समनुदेशन, पॉलिसी दस्तावेज पर पृष्ठांकन करके या पृथक विलेख द्वारा किया जा सकता है। समनुदेशन सशर्त या बिना शर्त हो सकता है।
2.	**Exclusions / अपवर्जन** Specific conditions or circumstances for which the policy shall not provide any benefits. ऐसी विशेष स्थितियां या परिस्थितियां जिनके लिए पॉलिसी कोई लाभ प्रदान नहीं करती है।
3.	**Grace period / छूट की अवधि** Policyholders are expected to pay regular premium on due dates. A period of 30 days from the premium due date is allowed as grace to make payment of due premium. This duration is known as grace period. पॉलिसीधारक से उम्मीद की जाती है कि वह नियमित प्रीमियों का भुगतान देय तारीखों पर कर दें। देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए छूट अवधि के रूप में प्रीमियम की देय तारीख से 30 दिनों की अवधि की अनुमति दी जाती है। इस अवधि को छूट अवधि कहा जाता है।
4.	**Lapsed Policy / व्यपगत पॉलिसी** A policy which is no longer in force on account of non-payment of the due premiums, even within the grace period. वो पॉलिसी, जो छूट अवधि समाप्त होने के बाद भी देय प्रीमियमों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण अब चालू हालत में नहीं है।
5.	**Last Birth Day (l.b.d) / पिछला जन्म दिन (l.b.d)** Age at last Birthday as on date of issuance of policy. पॉलिसी जारी करने की तारीख पर पिछले जन्म दिन की उम्र।
6.	**Life Assured / बीमाकृत व्यक्ति** The person whose life is insured under the Policy. वह व्यक्ति, इस पॉलिसी के तहत जिसके जीवन का बीमा किया गया है।
7.	**Maturity/ परिपक्वता** The date upon which the specified maturity benefit is payable, as per the terms and conditions of the Policy. वह तारीख, जिस पर पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अनुसार, निर्दिष्ट परिपक्वता लाभ देय होते हैं।
8.	**Maturity Claim/ परिपक्वता दावा** The Payment to the policy holder at the end of the stipulated term of the policy is called maturity claim. पॉलिसी की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर पॉलिसीधारक को किया जाने वाला भुगतान परिपक्वता दावा कहलाता है।
9.	**Misrepresentation / मिथ्या प्रस्तुति** Act of making any kind of statement that does not in fact reflect its true nature. कोई ऐसा कथन प्रस्तुत करने का कृत्य जो वस्तुत इसकी सच्चाई को नहीं दर्शाता है।
10.	**Nomination/ नामांकन** An act by which the life Assured authorizes another person to receive the policy proceeds in the event of his/her death. The person so authorized is called the "Nominee". ऐसा कृत्य जिसके द्वारा बीमाकृत व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। यह अधिकृत व्यक्ति "नामिति" कहलाता है।
11.	**Nominee/ नामिति** The person(s) named in the policy who is/are entitled to receive the insurance proceeds upon the death of the Life Insured. पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति (एक से अधिक व्यक्ति), जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

12. Proposal Form/ प्रस्ताव फॉर्म

It is an application form which is to be completed and signed by the proposer for securing an insurance policy and forms the basis for issuance of the Policy.

यह एक आवेदन फार्म है, जिसे बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित किया जाता है और जो बीमा पॉलिसी का आधार तैयार करता है।

13. Paid-up Value/ प्रदत्त मूल्य

Paid-up value is the reduced amount of benefits, payable by the Insurer in case the Policyholder discontinues the payment of premiums, after paying the full premiums for at least first three policy years.

प्रदत्त मूल्य, लाभों की घटी हुई वह रकम है, जिसका भुगतान पॉलिसीधारक द्वारा कम से कम तीन पॉलिसी वर्षों के लिए पूरे प्रीमियम का भुगतान करने बाद, प्रीमियम का भुगतान बंद करने के मामले में बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

14. Policy Term/ पॉलिसी अवधि

Policy term is the period for which insurance coverage is given.

पॉलिसी अवधि वो अवधि होती है जिसके लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

15. Regular Premium/ नियमित प्रीमियम

The amount payable by the Policyholder to the Insurance Company in exchange for the insurer's obligation to pay benefits upon the occurrence of the contractually-specified contingency (e.g., death).

संविदा में निर्दिष्ट आकस्मिकता (अर्थात् मृत्यु) घटित होने पर लाभों का भुगतान करने की बीमा कंपनी के दायित्व के बदले में पॉलिसीधारक द्वारा बीमा कंपनी को अदा की जाने वाली रकम।

16. Revival/ फिर से चालू कराना

The restoration of a lapsed policy to in-force status. Revival can only occur after the expiration of the grace period. The company may require evidence of insurability (if health status has changed, deny revival), and will always require payment of the total amount of past due premium/s.

व्यपगत पॉलिसी को पुन: चालू करना। छूट अवधि समाप्त होने के बाद ही यह पुन: चालू कराई जा सकती है। कंपनी बीमा योग्यता (अगर स्वास्थ्य स्थिति में परिवर्तन हो गया है तो पुन: चालू करने से मना किया जा सकता है) का प्रमाण मांग सकती है और इसके लिए पिछले देय सभी प्रीमियमों की कुल रकम का भुगतान करना ज़रूरी होगा।

17. Risk/ जोखिम

The obligation assumed by the insurer when it issues a policy.

पॉलिसी जारी करते समय, बीमा कंपनी द्वारा माना गया दायित्व।

18. Sum Assured/ बीमाकृत रकम

Sum assured is the minimum amount that an insurer agrees to pay on the occurrence of a stated contingency (eg: Death).

बीमाकृत रकम वह न्यूनतम रकम है, जिसे बीमा कंपनी उल्लिखित आकस्मिकता (अर्थात् मृत्यु) की स्थिति में देने के लिए सहमत होती है।

19. Surrender Value/ अभ्यर्पण मूल्य

The value payable to the policy holder in the event of his/her deciding to terminate the policy before the maturity of the policy.

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी की परिपक्वता से पहले पॉलिसी को समाप्त करने के निर्णय के मामले में पॉलिसीधारक को देय मूल्य।

20. Underwriting/ हामीदारी

The process of evaluating risks for insurance and determining in what amounts and on what terms the insurance company will accept the risk.

बीमा के लिए जोखिमों का मूल्यांकन करने और कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा और कंपनी किन शर्तों पर जोखिम को स्वीकार करेगी, का निर्धारण करने की प्रक्रिया।

21 With-Profit Policy/ लाभ सहित पॉलिसी

Policies entitled to bonus, which is paid at the time of claim (death or maturity).

वे पॉलिसियां जो बोनस की हकदार हैं, जिसका भुगतान दावे (मत्यु या परिपक्वता) के समय किया जाता है।

GRIEVANCE REDRESSAL PROCEDURE

We, at Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life strive to ensure that our customers get only the very best of service from us. We understand the customer's grievance and try to resolve the same by ascertaining all the facts and documents available to provide a fair resolution on the complaint.

1. In case you wish to register a complaint with us, you may visit our website, approach our Resolution Centre, Grievance Officers at Hub locations, or you may write to us at the following address:

   Complaint Redressal Unit
   Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
   Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India
   Toll Free: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)
   Email: cru@canarahsbclife.in

   We shall respond to you within two weeks from the date of our receiving your complaint. Kindly note that in case we do not receive revert from you within eight weeks from the date of your receipt of our response we will treat your complaint as closed.

2. In case you do not receive a satisfactory response from us within the above timelines, you may write to our Complaint Redressal Officer at:

   The Complaint Redressal Officer
   Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
   Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India
   Toll Free: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)
   Email: cro@canarahsbclife.in

3. In case you are not satisfied with the decision/resolution of the Company, you may approach the Insurance Ombudsman for your State or an appropriate judicial/quasi-judicial authority having jurisdiction over the matter for redressal of your grievance.

शिकायत निवारण प्रक्रिया

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे ग्राहकों को हमारी ओर से केवल सबसे अच्छी सेवा प्राप्त हो। हम ग्राहकों की शिकायतों को समझते हैं और शिकायत का निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए उपलब्ध सभी तथ्यों और दस्तावेज़ों की जाँच करके इनका समाधान करने का प्रयास करते हैं।

1. अगर आप हमारे पास कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे समाधान केंद्र, हब कार्यालयों पर मौजूद शिकायत अधिकारियों तक पहुँच सकते हैं, या आप निम्न पते पर हमें लिख सकते हैं:

   शिकायत निवारण इकाई
   केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ इंश्योरेंस कं. लि.
   यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंज़िल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत
   टॉल फ़्री: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल)
   ईमेल: cru@canarahsbclife.in

   आपकी शिकायत हमारे पास पहुँचने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर हम आपको उत्तर देंगे। कृपया ध्यान दें कि आपको हमारा उत्तर प्राप्त होने की तिथि के बाद अगर हमें आठ सप्ताह तक आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो हम समझेंगे कि आपकी शिकायत का समाधान हो चुका है।

2. अगर आपको उपरोक्त समय-सीमाओं के अंदर हमारी ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो आप निम्न पते पर हमारे शिकायत निवारण अधिकारी को लिख सकते हैं:

   शिकायत निवारण अधिकारी
   केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लाइफ़ इंश्योरेंस कं. लि.
   यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंज़िल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत
   टॉल फ़्री: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल)
   ईमेल: cro@canarahsbclife.in

3. अगर आप कंपनी के निर्णय/समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए अपने राज्य के बीमा लोकपाल या इस मामले पर न्यायाधिकार रखने वाले उपयुक्त न्यायिक/अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण के पास पहुँच सकते हैं।

List of Insurance Ombudsmen / बीमा लोकपालों की सूची

Office of the Ombudsman लोकपाल का कार्यालय	Name of the Ombudsman लोकपाल का नाम	Contact Details संपर्क का विवरण		Areas of Jurisdiction अधिकार क्षेत्र
AHMEDABAD **अहमदाबाद**	Shri P. Ramamoorthy श्री पी. रामामूर्ति	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, Ambica House, Nr. C.U. Shah College, Ashram Road, **AHMEDABAD-380 014.** Tel.: 079-27546840 Fax : 079-27546142 Email: ins.omb@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, दूसरी मंज़िल, अंबिका हाउस, सी.यू. शाह कॉलेज के पास, आश्रम रोड़, **अहमदाबाद-380 014.** फोन: 079-27546840 फैक्स: 079-27546142 ईमेल: ins.omb@rediffmail.com	Gujarat, UT of Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
BHOPAL **भोपाल**		Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Janak Vihar Complex, 2nd Floor, 6, Malviya Nagar, Opp. Airtel, Near New Market, **BHOPAL(M.P.)-462 023.** Tel.: 0755-2569201 Fax : 0755-2769203 Email: bimalokpalbhopal@airtelmail.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, जनक विहार कौमप्लेक्स, दूसरी मंज़िल, 6, मालविया नगर, एयरटेल के सामने, न्यू मार्केट के पास, **भोपाल (एम.पी.)-462 023.** फोन: 0755-2569201 फैक्स: 0755-2769203 ईमेल: bimalokpalbhopal@airtelmail.in	Madhya Pradesh & Chhattisgarh मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
BHUBANESHWAR **भुवनेश्वर**	Shri B. P. Parija श्री बी.पी. पारीजा	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 62, Forest Park, **BHUBANESHWAR-751 009.** Tel.: 0674-2596455 Fax : 0674-2596429 Email: ioobbsr@dataone.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, 62, फोरेस्ट पार्क, **भुवनेश्वर-751 009.** फोन: 0674-2596455 फैक्स: 0674-2596429 ईमेल: ioobbsr@dataone.in	Odisha उडीशा
CHANDIGARH **चंडीगढ़**		Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, S.C.O. No.101-103, 2nd Floor, Batra Building. Sector 17-D, **CHANDIGARH-160 017.** Tel.: 0172-2706468 Fax : 0172-2708274 Email: ombchd@yahoo.co.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, एस.सी.ओ. नं. 101-103, दूसरी मंज़िल, बतरा बिल्डिंग, सेक्टर 17-डी, **चंडीगढ़-160 017.** फोन: 0172-2706468 फैक्स: 0172-2708274 ईमेल: ombchd@yahoo.co.in	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, UT of Chandigarh पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
CHENNAI **चेन्नई**	Shri V. Ramasaamy श्री वी. रामासामी	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Fathima Akhtar Court, 4th Floor, 453 (old 312), Anna Salai, Teynampet, **CHENNAI-600 018.** Tel.: 044-24333668/5284 Fax : 044-24333664 Email: chennaiinsuranceombudsman@gmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंज़िल, 453, (पुराना 312), अन्ना सालाई, तेनमपेट, **चेन्नई-600 018.** फोन: 044-24333668/5284 फैक्स: 044-2433364 ईमेल: chennaiinsuranceombudsman@gmail.com	Tamil Nadu, UT–Pondicherry Town and Karaikal (which are part of UT of Pondicherry) तमिलनाडु, केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी टाउन और कराईकल (जो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के भाग है)
NEW DELHI **नई दिल्ली**	Shri Surendra Pal Singh श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 2/2 A, Universal Insurance Bldg., Asaf Ali Road, **NEW DELHI-110 002.** Tel.: 011-23239633 Fax : 011-23230858 Email: iobdelraj@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, 2/2 ए, यूनिवर्सल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड़, **नई दिल्ली-110 002.** फोन: 011-23239633 फैक्स: 011-23230858 ईमेल: iobdelraj@rediffmail.com	Delhi & Rajasthan दिल्ली और राजस्थान

List of Insurance Ombudsmen / बीमा लोकपालों की सूची

Office of the Ombudsman लोकपाल का कार्यालय	Name of the Ombudsman लोकपाल का नाम	Contact Details संपर्क का विवरण		Areas of Jurisdiction अधिकार क्षेत्र
GUWAHATI **गुवाहाटी**	Shri D. C. Choudhury श्री डी.सी. चौधरी	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, "Jeevan Nivesh", 5th Floor, Near Panbazar Overbridge, S.S. Road, **GUWAHATI-781 001 (ASSAM).** Tel.: 0361-2132204/5 Fax: 0361-2732937 Email: ombudsmanghy@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, जीवन निवेश, पांचवी मंज़िल, पानबाज़ार ओबरब्रिज के पास, एस.एस. रोड़, **गुवाहाटी-781 001 (असम).** फोनः 0361-2132204/5 फैक्सः 0361-2732937 ईमेलः ombudsmanghy@rediffmail.com	Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland and Tripura असम, मेघालया, मणिपुर, मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा
HYDERABAD **हैदराबाद**	Shri K. Chandrahas श्री के. चंदरहास	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 6-2-46, 1st Floor, Main Court, A.C. Guards, Lakdi-Ka-Pool, **HYDERABAD-500 004.** Tel: 040-65504123 Fax: 040-23376599 Email: insombudhyd@gmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, 6-2-46, पहली मंज़िल, मेन कोर्ट, ए.सी. गार्डस, लकड़ी का पुल, **हैदराबाद-500 004.** फोनः 040-65504123 फैक्सः 040-23376599 ईमेलः insombudhyd@gmail.com	Andhra Pradesh, Karnataka and UT of Yanam – a part of the UT of Pondicherry आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यनम – केंद्रशासित प्रदेश – पांडिचेरी का एक भाग
KOCHI **कोचि**	Shri R. Jyothindranathan श्री आर. ज्योतिंद्रानाथन	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, CC 27/2603, Pulinat Bldg., Opp. Cochin Shipyard, M.G. Road, **ERNAKULAM-682 015.** Tel: 0484-2358759 Fax: 0484-2359336 Email: iokochi@asianetindia.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, दूसरी मंज़िल, सीसी 27/2603, पुल्लीनॉट बिल्डिंग, कोचिन शिपयार्ड के सामने, एमजी रोड़, **इर्णाकुलम-682015.** फोनः 0484-2358759 फैक्सः 0484-2359336 ईमेलः iokochi@asianetindia.com	Kerala , UT of (a) Lakshadweep , (b) Mahe – a part of UT of Pondicherry केरल, केंद्र शासित प्रदेश – (क) लक्षद्वीप (ख) माहे– पांडिचेरी का एक भाग
KOLKATA **कोलकाता**	Ms. Manika Datta श्रीमती मनिका दत्ता	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 4th Floor, Hindusthan Bldg. Annexe, 4, C.R.Avenue, **Kolkatta – 700 072.** Tel: 033 22124346/(40) Fax: 033 22124341 Email: iombsbpa@bsnl.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, चौथी मंज़िल, हिन्दुस्थान बिल्डिंग ऐनेक्स 4, सी. आर. ऐवन्यू, **कोलकाता-700 072.** फोनः 033-22124346/(40) फैक्सः 033-22124341 ईमेलः iombsbpa@bsnl.in	West Bengal, Bihar, Jharkhand and UT of Andeman & Nicobar Islands, Sikkim पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और केन्द्रशासित प्रदेश – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम
LUCKNOW **लखनऊ**	Shri G. B. Pande श्री जी.बी. पांडे	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Bhawan, Phase-2, 6th Floor, Nawal Kishore Road, Hazaratganj, **LUCKNOW-226 001.** Tel: 0522 -2231331 Fax: 0522-2231310 Email: insombudsman@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, जीवन भवन फेस-2, छठी मंज़िल, नवल किशोर रोड़, हज़रतगंज़ **लखनऊ-226 001.** फोनः 0522-2231331 फैक्सः 0522-2231310 ईमेलः insombudsman@rediffmail.com	Uttar Pradesh and Uttaranchal उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
MUMBAI **मुंबई**	Shri S. Viswanathan श्री एस. विश्वानाथन	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 3rd Floor, Jeevan Seva Annexe, S.V. Road, Santacruz(W), **MUMBAI-400 054.** Tel: 022-26106928 Fax: 022-26106052 Email: ombudsmanmumbai@gmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, तीसरी मंज़िल, जीवन सेवा एनैक्सी, एस.वी. रोड़, सांताक्रूज़ (वेस्ट), **मुंबई-400 054.** फोनः 022-26106928 फैक्सः 022-26106052 ईमेलः ombudsmanmumbai@gmail.com	Maharashtra, Goa महाराष्ट्र, गोवा

Canara HSBC OBC Life Insurance

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited / **केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैक ऑफ कामर्स लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड**

Office Address / **कार्यालय का पता**

Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India

यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा, भारत

S.No.	Branch Locations / **शाखा कार्यालयों के पते**
1	**Agra:** 2nd Floor, Rajendra Point, Plot No. 1, Raghunath Nagar, M. G. Road, Agra - 282001, UP **आगरा:** दूसरी मंजिल, राजेन्द्रा प्वाइंट, प्लाट नं. 1, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड़, आगरा - 282001, उ.प्र.
2	**Ahmedabad:** 3rd Eye One, 3rd Floor, Office No. 305, Opp. Havmor Restaurant, Panchvati, C. G. Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat **अहमदाबाद:** थर्ड आई वन, तीसरी मंजिल, ऑफिस नं. 305, हवमोर रेस्टोरेंट के सामने, पंचवटी, सी.जी. रोड़, अहमदाबाद - 380009, गुजरात
3	**Amritsar :** 32-A,Third Floor, Cee Tee Mall, The Mall, Amritsar - 143001, Punjab **अमृतसर:** 32-ए, तीसरी मंजिल, सी.टी. मॉल, द मॉल, अमृतसर -143001, पंजाब
4	**Bengaluru:** 3rd Floor, Brigade Square, No.21 Cambridge Road, Ulsoor, Bengaluru - 560 008, Karnataka **बैंगलुरू:** तीसरी मंज़िल, ब्रिगेड स्कवेयर, नं. 21 कैम्ब्रिज रोड, उलसूर, बेंगलूरू-560008, कर्नाटक
5	**Bareilly:** 149, Civil Lines, Radha Bhawan, 2nd floor, Next to Raj Rani Hospital, Bareilly - 243001, UP **बरेली:** 149, सिविल लाइन, राधा भवन, दूसरी मंजिल, राज रानी हास्पिटल के बाद, बरेली - 243001 उ.प्र.
6	**Bhopal:** Plot# 238-A, III Floor, “Shashwat Tower”, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal - 462011, MP **भोपाल:** प्लाट नं. 238-ए, तीसरी मंजिल, “शाश्वत टावर”, जोन-I, एम.पी. नगर, भोपाल-462011, म.प्र.
7	**Bhubaneswar:** Flat No. 202, 2nd Floor, Yasodhara Enclave, 731, Saheed Nagar, Bhubaneshwar - 751007, Odisha **भुवनेश्वर:** फ्लैट नं. 202, दूसरी मंजिल, यशोदरा एनक्लेव, 731, शाहिद नगर, भुवनेश्वर - 751007, उडीशा
8	**Calicut:** 4th Floor, V-Zone Commercial Complex, Mavoor Road, Parayancheri, Calicut - 673016, Kerala **कालीकट:** चौथी मंज़िल, वी-ज़ोन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मवूर रोड, परायानचेरी, कालीकट - 673016, केरल
9	**Chandigarh:** S.C.O. 2917-2918, First Floor, Sec. 22 C, Chandigarh – 160022 **चंडीगढ:** एस.सी.ओ. 2917-2918, पहली मंजिल, सेक्टर 22 सी, चंडीगढ -160022
10	**Chennai:** 3D, "RIAZ Gardens", 3rd Floor, Door No. 12 & 13, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034, Tamil Nadu **चेन्नई:** 3डी, “रियाज़” गार्डन्स, तीसरी मंज़िल, डोर नं. 12 एवं 13, कोडमबक्कम हाई रोड, नुनगामबक्कम, चेन्नई - 600034, तमिलनाडू
11	**Coimbatore:** No.1023, R G Chambers, Avinashi Road, Coimbatore - 641018, Tamil Nadu **कोयम्बटूर:** नं. 1023, आर जी **चेम्बर्स**, अविनाशी रोड़, कोयंबटूर - 641018, तमिलनाडु
12	**Delhi:** C-31 & C-32, Ist Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 **दिल्ली:** सी-31 & सी-32, पहली मंजिल, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
13	**Gurgaon:** Branch Operations, Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana **गुड़गांव:** ब्रांच ऑपरेशन्स, यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंज़िल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009, हरियाणा
14	**Guwahati:** Ganpati Enclave, 3rd Floor, Bora Service, G. S. Road, Guwahati - 781007, Assam **गुवाहाटी:** गणपति इनक्लेव, तीसरी मंजिल, बोरा सर्विस, जी. एस. रोड़, गुवाहाटी - 781007, असम
15	**Hubli:** 163/5D, 3rd Floor, Kalburgi Landmark, Opp. Girls High School, Deshpande Nagar, Near Circuit House, Hubli - 580029, Karnataka **हुबली:** 163/5डी, तीसरी मंजिल, कालबुर्गी लैंडमार्क, गल्स हाई स्कूल के सामने, देशपांडे नगर, सर्किट हाउस के नजदीक, हुबली - 580029, कर्नाटक
16	**Hyderabad :** House No. 6-3-1107 &1108, 3rd Floor, Rajbhawan Road, Hyderabad - 500082, AP **हैदराबाद:** हाउस नं. 6-3-1107 & 1108, तीसरी मंजिल, राजभवन रोड़, हैदराबाद - 500082, आ.प्र.
17	**Jaipur:** Unit No. 501-503, Crystal Palms, Near Sahkar Bhawan, Jaipur - 302001, Rajasthan **जयपुर:** यूनिट नं. 501-503, क्रिस्टल पॉम्स, शाहकर भवन के पास, जयपुर - 302001, राजस्थान
18	**Karnal:** SCO. 93, 1st Floor, Sector 7, Urban Estate, Karnal - 132001, Haryana **करनाल:** एस.सी.ओ. 93, पहली मंज़िल, सैक्टर 7, अर्बन इस्टेट, करनाल-132001, हरियाणा
19	**Kolkata:** 21, Camac Street, Bells House, 6th Floor, Kolkata - 700016, WB **कोलकाता:** 21, कॅमक स्ट्रीट, बेल्स हाउस, छठी मंजिल, कोलकाता -700016, प.बं.
20	**Lucknow:** 3rd Floor, Canara Bank Regional Office, Opp. Fun Republic, Behind RBI & NABARD, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, UP **लखनऊ:** तीसरी मंजिल, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, फन रिपब्लिक के सामने, आर.बी.आई & नार्बाद के पीछे, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010, उ.प्र.
21	**Ludhiana:** 2nd Floor, Plot No-4, New Lajpat Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana-141001, Punjab **लुधियाना:** दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 4, न्यू लाजपत नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना -141001, पंजाब
22	**Madurai:** ATP Tower, 4th Floor, 12/27A - By Pass Road, Madurai - 625 010, Tamil Nadu. **मदुरई:** ए टी पी टावर, चौथी मंजिल, 12/27 ए - बाई पास रोड, मदुरई - 625010, तमिलनाडु
23	**Mumbai 1:** 203, 2nd Floor, Neelyog Square, Opposite Ghatkopar Railway Station, Ghatkopar East, Mumbai - 400077, Maharashtra **मुम्बई 1:** 203, दूसरी मंजिल, नीलयोग स्क्वेयर, घाटकोपर रेलवे स्टेशन के सामने, घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई - 400077, महाराष्ट्र
24	**Mumbai 2:** 402, 4th Floor, Hallmark, Business Plaza, Opp. Gurunanak Hospital, Kalanagar, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra **मुम्बई 2:** 402, चौथी मंजिल, हॉलमार्क, बिजनेस प्लाजा, गुरूनानक अस्पताल के सामने, कलानगर, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई - 400051, महाराष्ट्र
25	**Patna:** 2nd Floor, 202 - 206, Sisodia Palace, Near Gorakhnath Complex, East Boring Canal Road, Patna - 800001, Bihar **पटना:** दूसरी मंज़िल, 202-206, सिसोदिया पैलेस, गोरखनाथ कॉम्प्लैक्स के पास, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना - 800001, बिहार
26	**Pune:** Unit no. 201, 2nd Floor, Pinnacle Building, S. No 31/2/1, North Main Road, Koregaon Park, Pune - 411001, Maharashtra **पूना:** यूनिट नं. 201, दूसरी मंजिल, पिनकल बिल्डिंग, एस. नं. 31/2/1, नॉर्थ मेन रोड़, कोरेगांव पार्क, पूना - 411001, महाराष्ट्र
27	**Trivandrum:** 2nd Floor, New Jyothi Towers, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Trivandrum - 695001, Kerala **त्रिवेन्द्रम:** दूसरी मंज़िल, न्यू ज्योति टॉवर्स, एस.एस. कोविल रोड, थम्पानूर, त्रिवेन्द्रम - 695001, केरल

*As on date of issuance of policy / बीमा जारी होने की तिथि को